

शांति भंग करने के 08 आरोपी गिरफ्तार :-

संतोषीलाल हैड कानि० थाना बौली ने 1. हनुमान पुत्र केदारलाल उम्र 20 साल निवासी दिवाडा थाना मलारना डुंगर 2. रामराज पुत्र रामलाल जाति योगी उम्र 23 साल निवासी हथडौली थाना बौली 3. राजन यादव पुत्र जगबहादुर उम्र 22 साल निवासी भादरगढ जिला झंझर राज्य हरियाणा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार लक्ष्मण कानि० थाना कोतवाली ने गणेश उफ सड़डा पुत्र कैलाश जाति मालो उम्र 20 साल निवासी छावडी चौक आलनपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार तेज सिंह हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री दिनेश कुमार पुत्र रामधन जाति मीना उम्र 19 साल निवासी खिजूरी थाना रवाजना डुंगर जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

नरेन्द्र सिंह स०उ०नि० थाना सूरवाल ने श्री फारुख पुत्र श्री सुलेमान जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार होशियार सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना सूरवाल ने भरोसी पुत्र श्री रामकरण जाति गुर्जर उम्र 35 साल निवासी धनोली थाना सूरवाल 2. रामकुवार पुत्र श्री अमरचन्द जाति गुर्जर उम्र 61 साल निवासी धनोली थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाने 04 आरोपी गिरफ्तार:-

तेज सिंह हैड कानि० थाना मानटाउन ने 01. श्री रामकेश पुत्र मस्तराम जाति मीना उम्र 35 साल निवासी ठीकरिया थाना नांगल राजावतान जिला दौसा 02. श्री पप्पूलाल पुत्र श्री रामकिशन जाति मीना उम्र 35 साल साल नि० ठीकरिया थाना नांगल राजावतान जिला दौसा 03. श्री लादूराम पुत्र रामकिशन जाति मीना उम्र 45 साल साल निवासी ठीकरिया थाना नांगल राजावतान जिला दौसा को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

छोटेलाल हैड कानि० थाना सदर गंगापुर सिटी ने शब्बीर पुत्र श्री रफीक उम्र 45 साल जाति मुसलमान निवासी दशहरा मैदान थाना गंगापुरसिटी को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 01 आरोपी गिरफ्तार:-

संतोषी लाल हैड कानि० थाना बौली ने राजेश कुमार पुत्र पांचूलाल जाति नायक उम्र 22 साल नि० बौरखेडा थाना बौली को शराब पीकर शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

सट्टे की खाईवाली करने का 01 आरोपी गिरफ्तार:-

शिवदयाल हैड कानि० थाना गंगापुरसिटी ने अकरम पुत्र अख्तर जाति मुसलमान निवासी चूलीगेट गंगापुर सिटी को गंगापुरसिटी में सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा उपकरण एवं 5200 रू० नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 756/17 u/s 13 Rpgo दर्ज किया गया।

इसी प्रकार तेज सिंह हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री विष्णु पुत्र गोवर्धन जाति मीना उम्र 22 साल निवासी नीन्दडदा थाना सूरवाल को पुरानी ट्रक यूनियन बजरिया में सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में 715 रुपये व सट्टा पर्ची मय बालपेन के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 364/17 u/s 13 Rpgo दर्ज किया गया।